न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. भंवरसिंह पिता स्वर्गीय श्री नारायणसिंह, जाति रावत, निवासी चेता चरेड़ो का बाडिया, ग्राम पंचायत बाघाना, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबूसिंह पिता स्वर्गीय श्री नारायणसिंह, जाति रावत, निवासी चेता चरेड़ो का बाडिया, ग्राम पंचायत बाघाना, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सवाईसिंह पिता स्वर्गीय श्री हुक्मसिंह, जाति रावत, निवासी चेता चरेड़ो का बाडिया, ग्राम पंचायत बाघाना, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व. श्री हुक्मसिंह, जाति रावत, निवासी चेता चरेड़ो का बाडिया, ग्राम पंचायत बाघाना, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नगर पालिका देवगढ़ जरिये चेयरमैन देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीम दि0
10.08.2023, प्रकरण सं0 77/2022

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अनिल बागोरा अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 20–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द में [illegible] 33 की आराजी नंबर 1023/575, 1051/575, 1052/562, [illegible], 578 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

किता 5 रकबा 1.7584 हैक्टर तथा खाता संख्या 105 की आराजी नंबर 298, 579, 580 कुल किता 3 रकबा 1.2646 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त खाते के खेत नंबर 577, 578, 579, 580 में आने जाने हेतु इस भूमि के पास ही आराजी नंबर 703 एवं 663 से बिल्कुल सटे हुए किनारे से लगती हुई 20 फिट चौडा खुला रास्ता बना है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण कई पीढियों से करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी नंबर 663 में करीब चार–पॉच माह पूर्व नगर पालिका देवगढ़ ने काटों की बाड़ लगाकर पत्थर डालकर जबरन कब्जा करने चले एवं रास्ते को रोक दिया, जबकि उक्त भूमि बिलानाम सरकार होने से रास्ता रोकने का अधिकार सरकार के अलावा अन्य किसी को नहीं है। प्रार्थीगण के कई बार जिला कलक्टर महोदय एवं तहसीलदार महोदय से रिपोर्ट करने पर मौखिक रूप से दुबारा अतिचार नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया एवं प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भी रास्ता खुलवाने बाबत दिया, जिस पर तहसीलदार देवगढ के आदेश दिनांक 24–06–2020 की अनुपालना रिपोर्ट में जो पटवारी हल्का कामली द्वारा दिनांक 29–06–2020 को तैयार किया गया, उसकी रिपोर्ट संलग्न है। जिससे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को आने–जाने से नहीं रोका गया, किन्तु आये दिन रास्ता बन्द कर दते हैं। अतः आराजी नंबर 703, 663 में से 20 फिट रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–08–2023 को उक्त प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 10–01–2025 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10–12–2024 को हुई। जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई ठोस कारण अपीलान्टगण ने बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण को सुना गया हो। पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण के खसरा नंबर 577, 578, 579, 580 में आने जाने के लिए पास से सटे आराजी नंबर 703 व 663 में से 20 फिट कदीमी रास्ता मौके पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग अपीलान्टगण अपने मकानों व खेत पर आने जाने के लिए करते हैं। उक्त रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण का जवाब लिये बिना ही मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार उक्त प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार में नहीं मानकर खारिज [illegible], जबकि पटवारी हल्का बाघाना, तहसील भीम की रिपोर्ट में [illegible] रास्ता नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका [illegible] यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्टगण या उनके अधिवक्ता को सुना गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10—08—2023 निरस्त किया जावे।

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को श्रवणाधिकार में नहीं होता बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत बताया तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा ग्राम चेता तहसील भीम की आराजी नंबर 703 एवं ग्राम कामली तहसील देवगढ़ की आराजी नंबर 663 दोनों में से रास्ता चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का मुख्य आधार पटवारी रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि खसरा नंबर 703 ग्राम चेता होकर बिलानाम दर्ज है, जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इस आराजी में रास्ता दर्ज नहीं है। हम धारा 251—ए का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि :—

(i) The necessity is absolute necessity and it is not for mere convenien enjoyment of holding.

(ii) Particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access if proved.

अपीलाधीन आदेश में उक्त दोनों बिन्दुओं पर कोई हवाला नहीं दिया गया है। यद्यपि खसरा नंबर 703 उपखण्ड अधिकारी भीम के क्षेत्राधिकार में है, वह अतिक्रमण मुक्त भी है, परन्तु क्या वह रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है या नहीं, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। पत्रावली पर संलग्न नक्शे से जाहिर होता है कि प्रार्थी के द्वारा आवेदित खसरा नंबर 577, 578, 579, 580 के साथ अन्य आराजी नंबर 576, 581, 582 है, जो कि [illegible] की आराजी की दोनों ओर स्थित हैं। मौका रिपार्ट में यह भी [illegible] बताया [illegible] है कि इन आराजी के काश्तकारी/खातेदार किस रास्ते का [illegible] कर रहे हैं। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, खसरा नंबर 663 [illegible]खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

भीम के क्षेत्राधिकार में नहीं है, परन्तु धारा 251–ए की मंशा एक रास्ता विशेष उपलब्ध कराने की नहीं है, प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, इसकी जांच भी अत्यन्त आवश्यक है। धारा 251–ए सुविधा को नहीं वरन् आवश्यकता के लिए है। अतः उस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील स्वीकार योग्य होकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–08–2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित सिद्धान्तों की पालना करते हुए पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

20.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested